

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:- अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 89/2021

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2021/244

वादीनी

बनाम

प्रतिवादी

चौथीदेवी पत्नि कोलाराम

जाति कलबी निवासी किटनोद

तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा

1. छगनीदेवी पत्नि जवाराराम
2. हरकूदेवी बेवा खीमाराम के वारिसान
- 2/1.वगताराम पुत्र खीमाराम
- 2/2.भूराराम पुत्र खीमाराम
- 2/3.आम्बाराम पुत्र खीमाराम के वारिसान
- 2/3/1.नरसिंगाराम पुत्र आम्बाराम
- 2/3/2.अर्जुन पुत्र आम्बाराम
- 2/3/3.सीमा पुत्र आम्बाराम
- 2/3/4.शांतिदेवी बेवा आम्बाराम
- 3.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955उपस्थिति

- 1.श्री जूंजाराम पटेल अधिवक्ता वादीनी
- 2.श्री चेलाराम कुमावत अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1,2/1 से 2/3, 2/3/2, 2/3/4
3. प्रतिवादी संख्या 2/3/1,2/3/3 व प्रतिवादी संख्या 05 एकतरफा।

निर्णय

दिनांक- 27/10/2025

संक्षिप्त में वाद-पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि सरहद मौजा किटनोद तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 206 रकबा 19.00 बीघा भूमि के संबंध में प्रस्तुत वाद दिनांक 23.5.2023 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार पचपदरा को मौके पर जाकर वादग्रस्त भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु अधिकृत किया गया था। तहसीलदार पचपदरा द्वारा माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार मौके का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया। जिसे वादीगण अधिवक्ता द्वारा विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया गया है। विभाजन प्रस्ताव मुताबिक वाद डिक्री जारी की जानी उचित प्रतीत होता है।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा



लिहाजा वादीगण का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा किटनोद तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 206 रकबा 19 बीघा भूमि के संबंध में विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

| क्र. सं. | नाम खातेदारान | गांव का नाम | ख.सं. | क्षेत्रफल (हेक्ट.) | किस्म | लगान | बरंग |
|----------|---|-------------|-------|--------------------|-------|------|-----------------------|
| 1 | चौथी देवी पत्नि कोलाराम जाति कलबी सा. किटनोद | किटनोद | 206 | 1.4604 | बा.अ. | — | नक्शे मे दर्शितानुसार |
| 2 | छगनीदेवी पत्नि जवाराराम हि. 1/2 वगताराम 1/6 भूराराम 1/6 पि. खीमाराम नरसिंगराम 1/24 अर्जुन 1/24 पि. आम्बाराम सीमा 1/24 पुत्री आम्बाराम शांतिदेवी 1/24 पत्नि आम्बाराम कौम कलबी सा. किटनोद | किटनोद | 206 | 1.4604 | बा.अ. | — | नक्शे मे दर्शितानुसार |
| 3 | चौथीदेवी पत्नि कोलाराम हि. 1/2 छगनीदेवी पत्नि जवाराराम हि. 1/4 वगताराम 1/12 भूराराम 1/12 पि.खीमाराम नरसिंगाराम 1/48 अर्जुन 1/48 पि. आम्बाराम सीमा 1/48 पुत्री आम्बाराम शांतिदेवी 1/48 पत्नि आम्बाराम जाति कलबी सा. किटनोद | किटनोद | 206 | 0.1548 | बा.अ. | — | नक्शे मे दर्शितानुसार |

तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है, कि वह उपरोक्तानुसार नामान्तकरण भरकर बाद जांच तस्दीक करें, संलग्न नामान्तकरण की पुस्त पर तरमीम अंकित करें, राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रूप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा। डिग्री पर्चा मुर्तिब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।



(अशोक कुमार)
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 27/10/2025 को लिखा जाकर सरें इजलास सुनाया गया।

मूलवाद में अंतिम डिक्री
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा
पीठासीन अधिकारी:- अशोक कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :- 89/2021
जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2021/244

वादीनी
चौथीदेवी पत्नि कोलाराम
जाति कलबी निवासी किटनोद
तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा

बनाम

प्रतिवादी

1. छगनीदेवी पत्नि जवाराराम
2. हरकूदेवी बेवा खीमाराम के वारिसान
- 2/1.वगताराम पुत्र खीमाराम
- 2/2.भूराराम पुत्र खीमाराम
- 2/3.आम्बाराम पुत्र खीमाराम के वारिसान
- 2/3/1.नरसिंगाराम पुत्र आम्बाराम
- 2/3/2.अर्जुन पुत्र आम्बाराम
- 2/3/3.सीमा पुत्र आम्बाराम
- 2/3/4.शांतिदेवी बेवा आम्बाराम
- 3.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा:-53,188 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर : 252/2021

निर्णय दिनांक :-27.10.2025

वादीनी की ओर से श्री जुंजाराम पटेल अधिवक्ता की उपस्थिति व प्रतिवादी संख्या 1,2/1 से 2/3, 2/3/2,2/3/4 की ओर से श्री चेलाराम कुमावत अधिवक्ता की उपस्थिति व प्रतिवादी संख्या 2/3/1,2/3/3 एवं प्रतिवादी संख्या 05 एकतरफा,इस वाद में आज तारीख 27.10.2025 को श्री अशोक कुमार (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर,निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:-वादीनी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 27.10.2025 मे अंकित अनुसार भूमि उनकी खातेदारी में पृथक से घोषित की जाती है। तहसीलदार पचपदरा को आदेश दिए जाते है,कि वह मुताबिक निर्णय अनुसार नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 27.10.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

27/10/25

वाद के खर्चे

| वादी | | प्रतिवादीगण | |
|---------------------------------|------------|-----------------------------|------------|
| 1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प | रूपया | 1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प | रूपया |
| 2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प | | 2.अर्जी के लिए स्टाम्प | |
| 3.प्रदर्शों के लिए स्टाम्प | | 3.प्लीडर की फीस | |
| 4.....रूपये पर प्लीडर की फीस | | 4.साक्षियों के | |
| 5.साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय | | लिए निर्वाह व्यय | |
| 6.कमिश्नर की फीस | ----- | 5.आदेशिका की तामील | |
| 7.आदेशिका की तामिल | | 6.कमिश्नर की फीस | |
| | जोड़ ----- | | जोड़ ----- |



[Handwritten Signature]
 सहायक कलेक्टर
 (एस.डी.ओ.) बालोतरा

[Handwritten text]
 27/10/13